

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2015/डी-2425

दिनांक:- 02/11/2015

श्री प्रशान्त कुमार अहलुवालिया,
श्री पवन कुमार अहलुवालिया,
श्री के.जे.एस. अहलुवालिया, श्री एम.जे.एस. अहलुवालिया,
जरिये मुख्त्यारआम एवं स्वयं श्री महेन्द्रजीत सिंह,
65, गोपालबाड़ी, जयपुर।

विषय:- पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 159 से 165, मंगल विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर के प्रस्तावित
आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2015 के संदर्भ में जो प्रस्ताव पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 159 से 165, मंगल विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर में स्थित भूखण्ड (1247.93 वर्गमीटर क्षेत्रफल) पर 15 मीटर ऊँचाई (बेसमेन्ट + + स्टिल्ट + 4 मंजिल) के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 172वीं बैठक दिनांक 30.03.2015 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह-2022 (दिनांक 17.11.2014 को जारी पुर्नगठनानुसार) तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन-05 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन 05 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।

11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे।
15. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
16. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
17. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
18. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
19. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहे। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
20. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (06 मानचित्र)

भवदीय
(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन-05, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. अधिशाषी अभियन्ता, बीपीसी-द्वितीय, जयपुरा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की एक प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

SITE-PLAN & CALCULATION TABLE

AREA CALCULATION TABLE:										
Sr. No	FLOORS	GROSS BUILT UP sq. mt.	BUILT UP sq. mt.	BALCONIES sq. mt.	LIFT sq. mt.	STAIRCASE sq. mt.	GORISSOR sq. mt.	COVER sq. mt.	GRAND TOTAL sq. mt.	F.A.R. sq. mt.
1	BASEMENT	485.18	485.18	-	7.25	19.51	108.73	-	143.40	55.82
2	GROUND (STILT)	680.93	547.62	133.31	7.25	19.51	-	-	1.97	47.86
3	FIRST	680.93	547.62	133.31	7.25	19.51	45.75	13.74	1.97	459.40
4	SECOND	680.93	547.62	133.31	7.25	19.51	45.75	13.74	1.97	459.40
5	THIRD	680.93	547.62	133.31	7.25	19.51	45.75	13.74	1.97	459.40
6	FOURTH	680.93	547.62	133.31	7.25	19.51	45.75	13.74	1.97	459.40
7	TERRACE	71.26	71.26	-	-	-	-	-	-	-
8	TOTAL	3961.00	3204.64	666.55	43.50	117.00	201.73	54.96	153.25	1941.21
TOTAL F.A.R ACHIEVED = 1941.28 SQ MT										

PLOT AREA = 1247.93 SQ.MTS.
PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
ACHIEVED GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
PERMISSIBLE HEIGHT = 15.00 MT.
ACHIEVED HEIGHT = 15.00 MT.
PERMISSIBLE F.A.R = 2.25 X 1247.93 = 2807.84 SQ.MT.
ACHIEVED F.A.R = 1941.28 SQ.MT.
CORRIDOR AREA PERMISSIBLE = 1941.28 X 0.15 = 291.19 SQ.MT.
ACHIEVED CORRIDOR = 291.73 SQ.MT.
EXCEED CORRIDOR AREA = 291.73 - 291.19 = 0.54 SQ.MT.
SERVICES AREA PERMISSIBLE = 1941.28 X 0.07 = 135.88 SQ.MT.
ACHIEVED SERVICES = 153.25 SQ.MT.
EXCEED SERVICES AREA = 153.25 - 135.88 = 17.37 SQ.MT.
STORE AREA PERMISSIBLE = 1941.28 X 0.03 = 58.23 SQ.MT.
ACHIEVED STORE = 54.96 SQ.MT.
EXCEED STORE AREA = NIL.
CLUB AREA PERMISSIBLE = 606.44 X 0.20 = 121.28 SQ.MT.
ACHIEVED CLUB AREA = 150.47 SQ.MT.
EXCEED CLUB AREA = 150.47 - 121.28 = 29.19 SQ.MT.
 TOTAL NET ACHIEVED F.A.R = 1941.28 + 29.19 + 17.37 + 0.54
 = 1968.38 SQ.MT. (1.593)

PARKING CALCULATIONS:-

NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER

RESIDENTIAL PARKING $\frac{\text{FAR ACHIEVED}}{75} = \frac{1944.72}{75} = 25.92 \text{ E.C.U.}$

COMMERCIAL PARKING = $\frac{43.66}{50} = 0.87 \text{ E.C.U}$

TOTAL PARKING REQ. = 25.92 + 0.87 = 26.79 E.C.U.

PARKING AVAILABLE =

CAR PARK IN OPEN AREA = 06 NO.5

CAR PARK IN STILT AREA = 20 NO.5

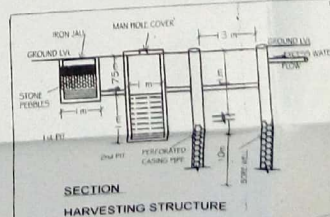
TOTAL = 26 NO. 5

TWO WHEELERS IN OPEN AREA - 00 NO.5
TWO WHEELERS IN STILT AREA - 25 NO.5

TOTAL = 25 (8.33)

TOTAL BAKING PROVIDED =

TOTAL PARKING PROVIDED = $26 + 8.33 = 34.33$ E.C.U.



भारत कानून विभाग (वि.प.) की 172-9
 वैकल्पिक शिक्षण 20/11/2005 में दिए गए निर्देश
 की अनुसरण में भारत कानून विभाग द्वारा
 प्र.सं. (वि.प.) (कै.) की 20/11/2005 दिनांक
 02/11/2005 द्वारा अनुमति का जारी किया

पुष्प

१५ नवंबर मिमोबक (डी० पी० डा०)
बबपुर निकाय प्राविडरस

SITE PLAN & CALCULATION TABLE

PROJECT TITLE
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PRUTHI, NEAR CHANDRANAGAR
SECTION: MANGAL VIHAR (APPROXIMATELY 600 SQ. FT.)

PROPERTY CONSULTANTS

11

4/27/80

NS 50111

1

1

12.10

As

GYANENDRAIS
A/C

CAR

ARCIS

ARCH

1592

Scanned

5 Call

Scanned by CamScanner

Appreciate the work done
Construction is checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

1. प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री को तैयार करें।
 2. प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री को तैयार करें।
 3. प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री को तैयार करें।
 4. प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री को तैयार करें।
 5. प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री को तैयार करें।
 6. प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री को तैयार करें।
 7. प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री को तैयार करें।
 8. प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री को तैयार करें।
 9. प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री को तैयार करें।
 10. प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री को तैयार करें।

SHEET NO. 03

FLOOR PLAN

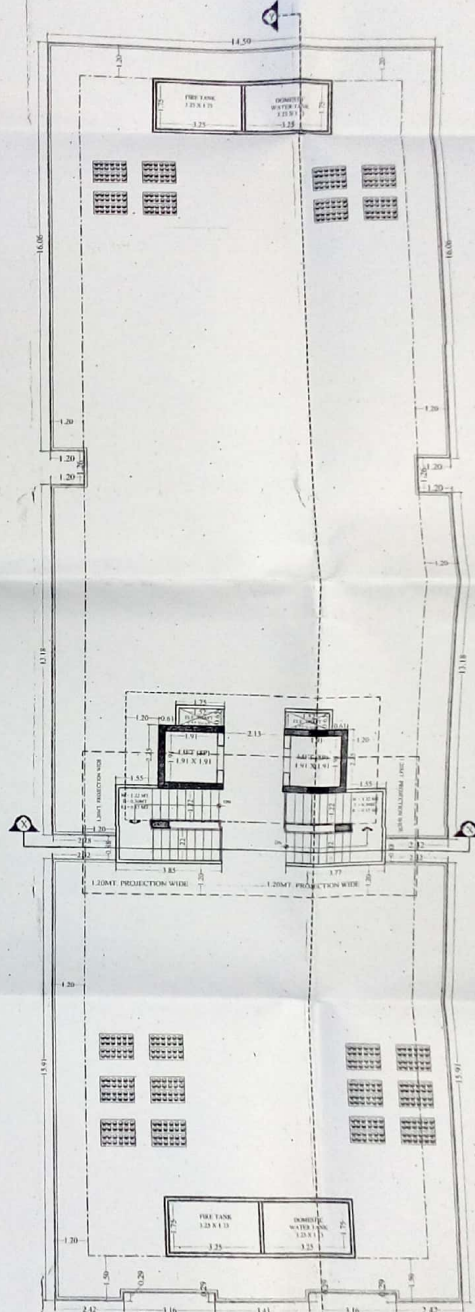
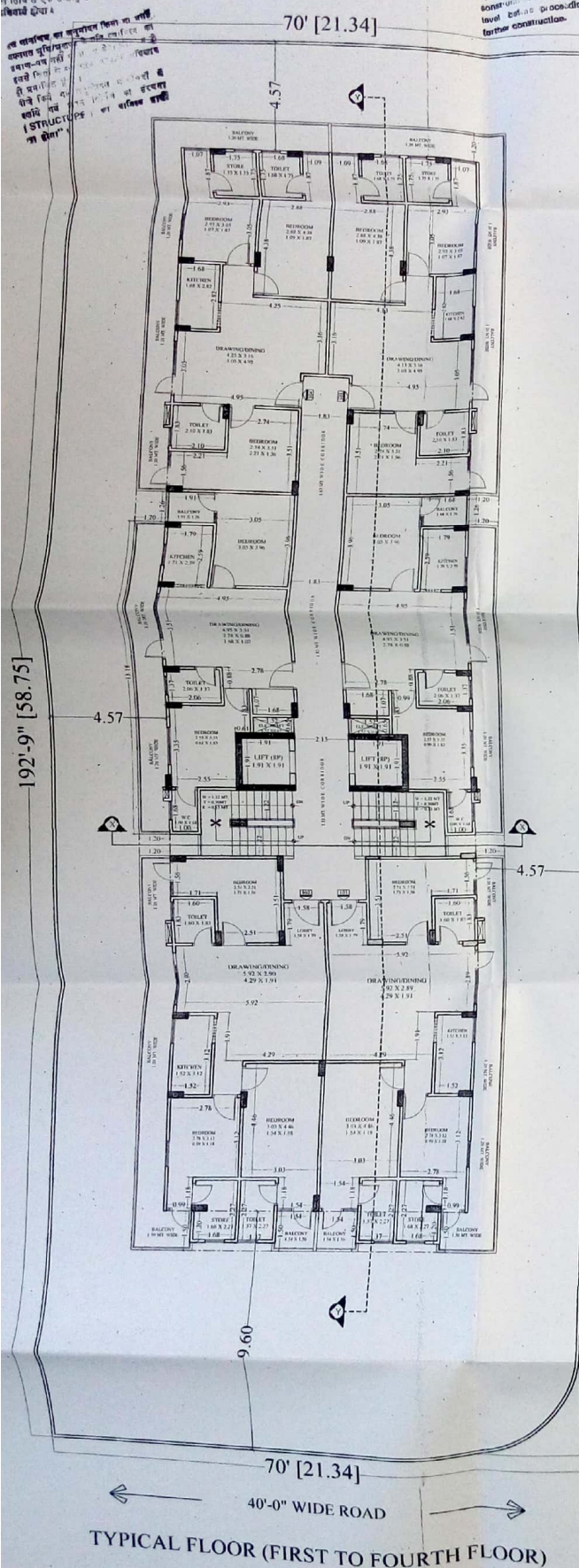
172

सं.प. (विशेष) (विशेष) २५३

22/01/2015

21

[Signature]
प्रमाणित किया जाता है कि
सम्बन्धित विभाग के अधिकारी
को प्रमाणित किया गया है



TERRACE FLOOR PLAN

DRAWING TITLE
FLOOR PLAN

PROJECT TITLE

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO.159 TO 161
SCHEME MANGAL VIHAR, APPROVED NAGAR CUNSO JALPUR

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ideas

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NO. 111 POINT

SCALE 1:100

--	--

1

20/10/1944

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect

CA 97/22030

OWNED	A. Smith
-------	----------

OWNER	ARCHITECT
-------	-----------

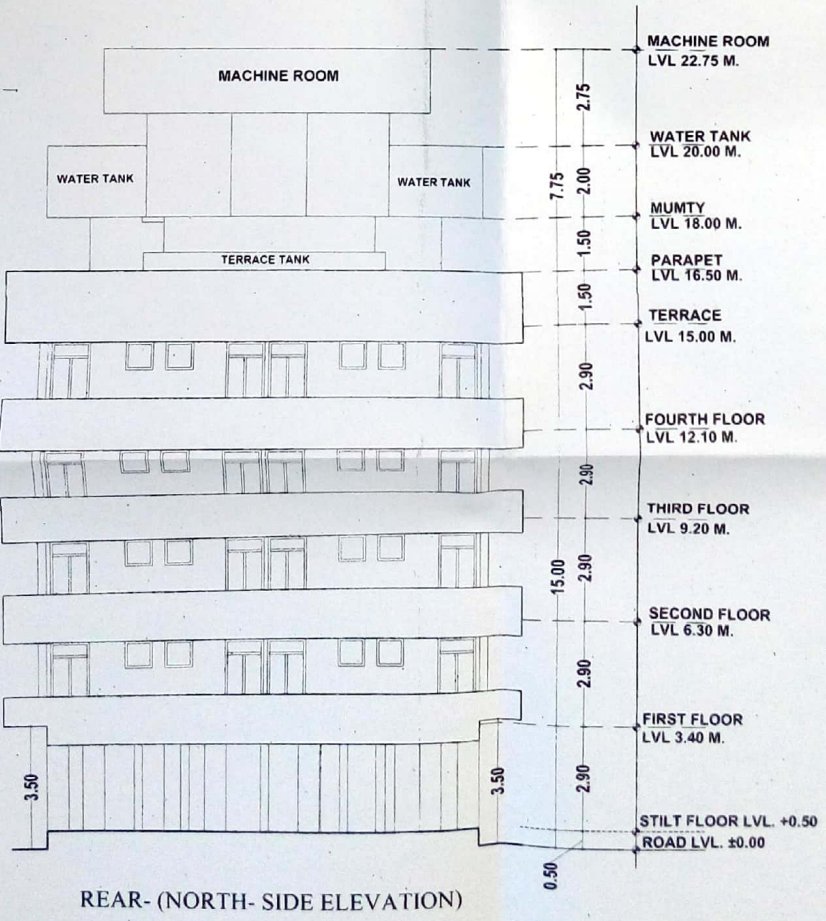
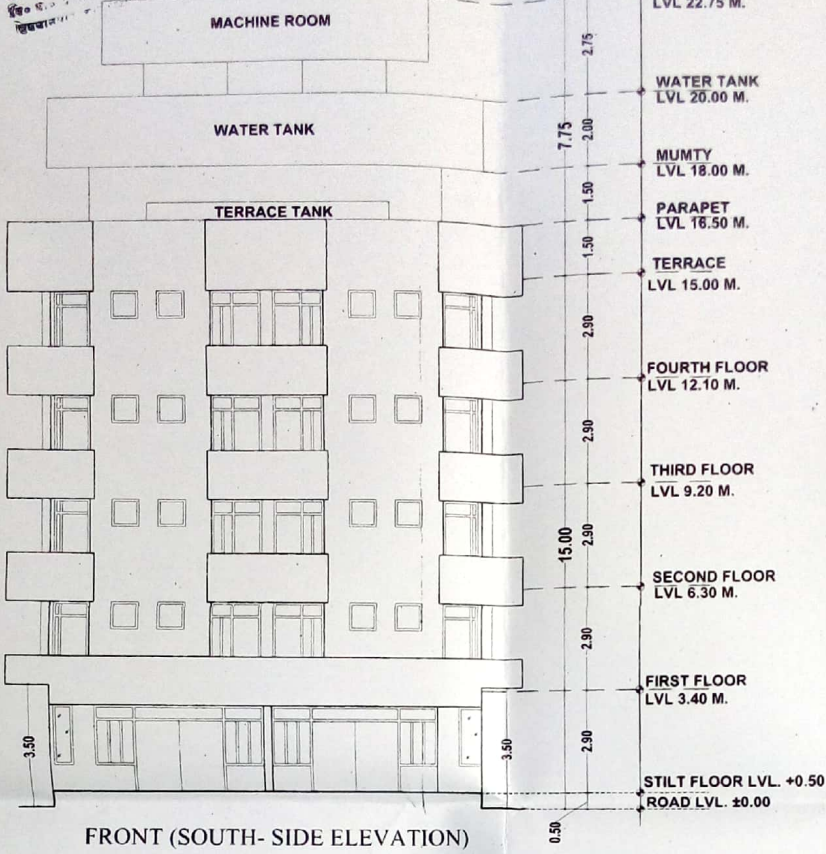
mScanner

mscanner

है और यह कि प्रस्तावित निर्माण कार्य
 1. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 2. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 3. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 4. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 5. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 6. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 7. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 8. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 9. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 10. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर

अनुमति प्राप्त है।
 2000 की धारा 13 के
 अन्तर्गत निर्माण कार्य
 के लिए अनुमति दी जाती है।
 1. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 2. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 3. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 4. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 5. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 6. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 7. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 8. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 9. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 10. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर

applicant should get the
 construction checked at place
 level before proceeding for
 further construction



SHEET NO. 05

ELEVATIONS
 मानक प्रमाणित (मि.मी.) की 1:100
 20/2/2015 के दिनांक को
 के अनुसार प्रमाणित करने के लिए
 म.प्र. (मि.मी.) (मि.मी.)/20/2/2015

अनुमति प्राप्त है।
 2000 की धारा 13 के
 अन्तर्गत निर्माण कार्य
 के लिए अनुमति दी जाती है।
 1. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 2. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 3. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 4. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 5. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 6. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 7. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 8. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 9. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर
 10. प्रस्तावित की प्रतिक्रिया पर

DRAWING TITLE ELEVATIONS	
PROJECT TITLE PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	
PROJECT CONSULTANTS Ideas 124, BHIMNATH NAGAR, JALGAON, GUJARAT PHONE: 9841 270030	NORTH POINT
SCALE 1:100	
OWNER	ARCHITECT

[illegible]

SHEET NO. 06

